| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>अपील संख्या 05/2025 अनवान कमरदीन बनाम राज्य सरकार | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 24.02.2025 | पत्रावली पेश हुई। अपीलांट के अधिवक्ता श्री पूनाराम विश्नोई, रेस्पोडेंट की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री दयाराम चौधरी एवं प्रार्थी ललित मेहता मार्फत श्री महावीरसिंह मेहता की ओर से अधिवक्ता श्री बाबुलाल विश्नोई उपस्थित। वकील अपीलांट की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी पेश *किया गया, जिसकी प्रति वकील प्रार्थी को दी जाकर शामिल मिसल किया* गया। तत्पश्चात उपस्थित उभय पक्ष के अधिवक्तागण की प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम10 सपठित धारा 151 सीपीसी पर बहस सुनी गई।<br><br>प्रार्थी के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी एन.टी.पी.सी. रिन्युएबल एनर्जी लिमिटेड नई दिल्ली का अधिकृत अधिकारी/आममुख्त्यारधारी है। उक्त कम्पनी राजस्थान राज्य में 500 मेघावाट सोलर प्रोजेक्ट, सोलर पॉवर प्लाण्ट लगवाना चाहती है, जिसके लिए ग्राम भड़ला, पटवारी हल्का नूरे की भूर्ज में स्थित भूमि खसरा नं. 39 जिसके नये खसरा नंबर254/198 उक्त प्रोजेक्ट हेतु आवंटित कर उक्त भूमि के सीमा चिन्ह कायम कर प्रार्थी कम्पनी को कब्जा सुपुर्द कर दिया गया है। कब्जा सुपुर्द किये जाने के बाद कम्पनी की ओर से सोलर प्लाण्ट लगाने हेतु भूमि का समतलीकरण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। अपीलार्थी द्वारा सहायक कलक्टर बाप के न्यायालय में रूपोसी तरीके से राजस्व वाद में प्रार्थी/रेकर्डेड खातेदार को पक्षकार नहीं बनाया तथा अपने पक्ष में आदेश प्राप्त करने का प्रयत्न किया। विचारण न्यायालय द्वारा राज्य सरकार के प्रार्थना पत्र को खारिज कर वाद का खारिज कर दिया गया है, जिसके विरूद्ध प्रस्तुत हस्तगत अपील में भी प्रार्थी को पक्षकार नहीं बनाया गया है। प्रार्थी हस्तगत मामले में हितबद्ध व्यक्ति है, को जानबूझकर पक्षकार नहीं बनाया गया है एवं अपीलांट प्रार्थी की पीठ पीछे आदेश प्राप्त करना चाहता है, जबकि प्रार्थी का हित विवादग्रस्त आराजी में बतौर खातेदार निहित है। हस्तगत मामले में प्रार्थी को नहीं सुना जाता है तो वह अपने जायज अधिकारों से वंचित हो जायेगा एवं अपना पक्ष नहीं रख पायेगा। इसलिए न्याय हित में प्रार्थी को पक्षकार बनाया जाना न्यायोचित व लाजमी है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे एवं प्रार्थी को हस्तगत अपील में बतौर प्रत्यर्थी पक्षकार संयोजित किये जाने का आदेश फरमावे।<br><br>जवाब में में अपीलांट के अधिवक्ता ने प्रार्थी के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि अपीलांट वादग्रस्त आराजी पर दर्ज काबिज काश्तकार है। वादग्रस्त आराजी गलत रूप सें सिवाय चक दर्ज हो गई, जिसके लिए अपीलांट ने वाद प्रस्तुत किया। वादी का वाद राज्य के खिलाफ है। वादग्रस्त आराजी का रकबा बहुत बड़ा है, जिसमें सें 50 बीघा भूमि पर अपीलांट का कब्जा काश्त है। कंपनी का वादग्रस्त आराजी पर किसी प्रकार का खातेदारी अधिकार नहीं है। ऐसी स्थिति में आवेदन | |

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर